विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-11/2022

श्रीमती सीमाबाई राजेन्द्र सिंह, **— आवेदक/अपीलार्थी**
उपयोगकर्ता श्री राजीव सिन्हा,
जलालखेड़ी, चिंतामण जवासिया,
उज्जैन (म0प्र0) — 456010

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, **— अनावेदक/अपीलार्थी**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड.,
मक्सी रोड, गेट नम्बर — 04, उज्जैन (म0प्र0) — 456010

आदेश

(दिनांक 17.10.2022 को पारित)

01. कनेक्शन धारक श्रीमती सीमाबाई राजेन्द्र सिंह, आवेदक उपयोगकर्ता श्री राजीव सिन्हा, जलालखेड़ी, चिंतामण जवासिया, उज्जैन (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 08.07.2022 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0 484421 दिनांक 22.11.2021 से असंतुष्ट एवं असहमत होने के कारण अपील अंतर्गत धारा 42(6) विद्युत अधिनियम 2003 प्रस्तुत की है जो दिनांक 18.07.2022 को इस कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00—11/2022 पर दर्ज की गई है।

02. **प्रकरण की पृष्ठभूमि :—**

1. फोरम ने गलत फार्मूला लगाकर 23400 यूनिट की बिलिंग करने का आदेश पारित किया है, जिसे निरस्त किया जाएं ।
2. 26040 यूनिट की बिलिंग निरस्त की जाएं एवं उसकी राशि लौटाई जाएं ।

3. फोरम में जाने–आने का व्यय रू0 40000/– दिलवाया जाएं ।

4. मुझे जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति रू0 3,50,000/– दिलवाया जाएं ।

03. प्रकरण को क्रमांक एल.00–11/2022 पर दर्ज करने के बाद उभयपक्षों को लिखित नोटिस जारी करते हुए प्रथम सुनवाई दिनांक 04.08.2022 नियत की गई ।

❖ प्रथम सुनवाई दिनांक 04.08.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री राजीव सिन्हा तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश भारती, टेस्टिंग असिस्टेंट –II उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश भारती, टेस्टिंग असिस्टेंट –II द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रतिवेदन रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश भारती, टेस्टिंग असिस्टेंट –II को प्रकरण से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी अगली सुनवाई में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया, जो निम्नानुसार है :–

01. दिनांक 11.06.2016 से 05.10.2020 तक लोड सर्वे और टेम्पर रिपोर्ट ।

02. चैकिंग रिपोर्ट की कॉपी ।

03. जनवरी 2014 से आज तक खपत रिपोर्ट ।

04. अभी तक का बिलिंग स्टेटमेंट और खपत स्टेटमेंट ।

05. एस.टी.एम. द्वारा की गई चैंकिंग की कॉपी और उसकी रिपोर्ट ।

06. मीटर टैस्टिंग रिपोर्ट ।

अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 18.08.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 18.08.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री राजीव सिन्हा तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री महेश भारती, टेस्टिंग असिस्टेंट –II उपस्थित ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश भारती, टेस्टिंग असिस्टेंट –II द्वारा प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया गया ।

सुनवाई के दौरान अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री महेश भारती, टेस्टिंग असिस्टेंट –II को प्रकरण से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त

के संबंध में उनके द्वारा जानकारी दी गई कि पूर्व सुनवाई में निर्देशित जानकारी में से कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त समय दिया जाए ।

प्रकरण से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी अगली सुनवाई में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया, जो निम्नानुसार है :–

01. दिनांक 11.06.2016 से 05.08.2019 तक की टेम्पर इण्डीकेशन रिपोर्ट ।

02. दिनांक 11.06.2016 से 05.10.2020 तक लोड सर्वे रिपोर्ट ।

अनावेदक द्वारा उक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु कुछ अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उभयपक्षों की आपसी सहमति से प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 02.09.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 02.09.2022 को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उनके कार्यपालन यंत्री श्री अमरेश सेठ द्वारा दूरभाष पर निवेदन किया गया कि कुछ आवश्यक कारणों की वजह से वे इस सुनवाई दिनांक को उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, अतः निवेदन है कि उक्त सुनवाई हेतु एक अग्रिम दिनांक नियत की जाए ।

कार्यपालन यंत्री के निवेदन को स्वीकार करते हुए उक्त सुनवाई में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है । अतः उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 14.09.2022 नियत की जाती है । उभयपक्षों को सूचित हो ।

❖ सुनवाई दिनांक 14.09.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री राजीव सिन्हा तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्राणेश कुमार, सहायक यंत्री, उज्जैन उपस्थित।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्राणेश कुमार, सहायक यंत्री, उज्जैन ने प्रकरण के संबंध में लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसकी एक प्रति आवेदक प्रतिनिधि को दी गई तथा लिखित प्रत्युत्तर रिकार्ड में लिया गया ।

अनावेदक कम्पनी की ओर से उपस्थित श्री प्राणेश कुमार, सहायक यंत्री, उज्जैन से प्रकरण में पिछली सुनवाई के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 11.06.2016 से 05.10.2020 तक टैम्पर इण्डीकेशन की रिपोर्ट एवं दिनांक 11.06.2016 से 05.10.2020 तक लोड सर्वे रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं की है, जिस पर उनके द्वारा निम्नानुसार मौखिक उत्तर प्रस्तुत किया गया :–

01. एस.टी.एम. संभाग द्वारा न तो टैम्पर इण्डीकेशन की जानकारी उपलब्ध कराई गई एवं न ही लोड सर्वे की जानकारी उपलब्ध कराई गई ।

02. कार्यपालन यंत्री एस.टी.एम. ने अपने पत्र क्रमांक 996 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से यह सूचित किया है कि मीटर क्रमांक 9023484 जो कि आवेदक का था इसमें व्हायफेस की पी.टी. मिसिंग दिनांक 11.06.2016 के 19:06:55 पर चालू हुई एवं रीस्टोर दिनांक 05.08.2020 के 13:53:47 पर हुई किन्तु इसके साथ उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया । अतः मैं जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थ हूं ।

03. मीटर कब बदला गया इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है ।

मीटर की टैस्टिंग लैब की रिपोर्ट दिनांक 09.09.2021 के संबंध में यह पूछा गया कि इस दिनांक को टैस्ट रिपोर्ट में लिखा गया है कि ''परीक्षण के दौरान देखा गया कि मीटर में व्हायफेस को लोड देने पर मीटर की Pulse LED Blinking नहीं कर रहा है एवं मीटर में व्हायफेस में वोल्टेज शून्य दिख रहा है । जबकि प्रस्तुत डाटा में जो कि दिनांक 01.07.2020 से 31.08.2020 में कई बार मीटर द्वारा व्हायफेस पर पूरा वोल्टेज एवं कहीं बार लगभग 15 प्रतिशत वोल्टेज दर्ज करना बता रहा है । अतः मीटर टैस्टिंग की रिपोर्ट एवं टैम्पर इण्डीकेशन की रिपोर्ट विरोधाभाषी है । इस संबंध में आपका क्या कहना है तो अनावेदक के प्रतिनिधि ने विरोधाभाष होने के संबंध में सहमति जताई, किन्तु वे उस पर कोई भी प्रतिक्रियां/स्पष्टीकरण नहीं दे सकें ।

ऐसी परिस्थिति में लम्बी अवधि के उपरान्त भी अनावेदक द्वारा प्रकरण में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की है जो कि की गई बिलिंग को सिद्ध करने हेतु अति आवश्यक है । अतः प्रकरण में मुख्य अभियंता, उज्जैन को चाही गई जानकारी सहित सक्षम अधिकारी जो इसकी जानकारी रखते हो को प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित करने का निर्देश देते हुए उक्त प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 29.09.2022 नियत की जाती है ।

❖ सुनवाई दिनांक 29.09.2022 को आवेदक की ओर से आवेदक प्रतिनिधि श्री राजीव सिन्हा तथा अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्राणेश कुमार, सहायक यंत्री, उज्जैन तथा श्रीमती पल्लवी तैलंग, सहायक यंत्री, (एस.टी.एम. संभाग) उज्जैन उपस्थित।

अनावेदक ने उक्त प्रकरण का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड में लिया तथा एक प्रति आवेदक को दी । प्रत्युत्तर निम्नानुसार है :-

''उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि दिनांक 05.08.2020 को उपभोक्ता श्रीमती सीमाबाई राजेन्द्र सिंह सर्विस क्र0 3851016508 वितरण केन्द्र चिन्तामन जवासिया उज्जैन वृत्त के यहां कनेक्शन

पर स्थापित मीटर AMR किया गया जिसमें पाया गया की कनेक्शन पर वाय फेज की पी.टी. मिसिंग है जबकि उपभोक्ता द्वारा वाय फेज का उपयोग किया जा रहा था । वाय फेज मिसिंग को रिस्टोर्ड 05.08.2020 को किया गया एवं उपरोक्त कनेक्शन को रीड किया गया । उपरोक्त कनेक्शन पर मीटर क्र. 9023484 जून 2016 से लगा था एवं मीटर स्थापना दिनांक से ही कनेक्शन पर वाय फेज मिसिंग आ रहा था जिसकी टेम्पर रिपोर्ट संलग्न की जा रही है एवं चैकिंग रिपोर्ट भी संलग्न की जा रही है । उपरोक्त कनेक्शन का लोड सर्वे दिनांक 29.07.2020 से ही उपलब्ध है क्योंकि उपरोक्त कनेक्शन को रीड प्रथम बार दिनांक 05.08.2020 को ही किया गया था ।

1. श्रीमती सीमा बाई राजेन्द्र सिंह उपभोक्ता क्र. 3851016508 मीटर क्र0 9023484 की एवरेज खपत मीटर में एब्रीवेशन को रीस्टोर्ड करने के पूर्व इस प्रकार है ।

   वर्ष व प्रतिमाह यूनिट का विवरण इस प्रकार से है ।

   एब्रिवेशन को अटैंड करने के पूर्व

   (16–17) ... (14988 – 7770) + (740+3055+1407) / 12 = 1035 Unit

   (17–18) ... 24814 – 14988 / 12 = 819 Unit

   (18–19) ... 34519 – 24814 / 12 = 809 Unit

   एब्रिवेशन को अटैंड करने के उपरांत ।

   (19–20) ... 51925 – 34519 / 12 = 1450.833 Unit

   (20–21) ... 73492 – 51925 / 12 = 1797 Unit

   (21–22) ... 83757 – 73492 (+ 9825) = 20090 / 12 = 1674.16 Unit

इस डाटाबेस से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उपरोक्त कनेक्शन की एवरेज खपत एब्रीवेशन संज्ञान में आने के पूर्व 800 Unit से 1000 Unit तक थी । इसके पश्चात एब्रीवेशन रीस्टोर्ड करने के पश्चात 1400 Unit से 10800 Unit तक थी जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कनेक्शन के केस में एक फेज मिसिंग था (वाय फेज) जिससे एवरेज खपत मीटर में दर्ज नहीं हो पा रही थी जिसकी जांच अगस्त – 2020 में की गई थी ।

एवरेज खपत जो कि मीटर में दर्ज नहीं हो रही थी । उसका विवरण निम्नानुसार है –

59204 – 7122 / 2 = 26041 Unit

जो कि 11/06/2016 से 05/08/2020 में 1515 दिन है ।

17 यूनिट प्रति दिन

26041 / 1515 (दिन) = 17 x (30 दिन) = 510 Unit प्रति माह जो लेने योग्य है ।

02. *निवेदन है कि उपरोक्त कनेक्शन पर मीटर क्र0 9023484 जून – 2016 में स्थापित किया गया था एवं इसका ए.एम.आर. दिनांक 05.08.2020 को किया गया था एवं उपरोक्त कनेक्शन पर लोड सर्वे 29.07.2020 से उपलब्ध है जिसका विश्लेषण करने पर प्रतीत होता है कि कनेक्शन पर विद्युत का उपयोग सुबह 9 बजे से शाम 8.30 बजे तक उपयोग किया जाता है ।*

लेख है कि उपरोक्त कनेक्शन पर वाय फेस मिसिंग माह 11 जून 2016 से 05 अगस्त 2020 तक था । दिनांक 05.08.2020 समय दोपहर 2 बजे वाय फेज रीस्टोर्ड होने से पूर्व तक लोड 7.07 कि.वा. चल रहा था एवं उसके उपरांत 11.1 कि.वॉ. लोड उपयोग में आने लगा था । जिससे प्रतीत होता है कि मीटर की (एक तिहाई यूनिट) 11.06.2016 से 05.08.2020 (समय दोपहर 2 बजे) तक दर्ज नहीं हो पा रही थी । जिसका विवरण लोड सर्वे 05.08.2020 के अनुसार एवं टेम्पर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है ।

3. *उपरोक्त परिसर पर लगे मीटर मेक जीनस 40 – 200 ए 3 फेज 240 वोल्ट मीटर क्र. 9023484 थ्री फेज चार वायर का होकर सीटी ऑपरेशन मीटर की भांति उपभोक्ता के यहां संयोजित किया गया था । जिसमें उपभोक्ता का सप्लाय केबल डीटीआर/विद्युत पोल से मीटर में इनिबल्ड सीटी में से होकर सीधे उपभोक्ता के कट आउट में जोड़ी जाती है । मीटर के वोल्टेज सर्किट के वोल्टेज का संयोजन मीटर टर्मिनल पर लगे (बोल्टस्) को कसकर किया जाता है । इस प्रक्रियां में यदि किसी फेज का वोल्टेज कनेक्शन ठीक प्रकार से (बोल्टस्) नहीं कसने या कनेक्ट नहीं होने की दशा में मीटर को नहीं मिलता है, तो उपभोक्ता द्वारा थ्री फेज लोड (मोटर) का उपयोग करने पर मीटर टेम्पर रिपोर्ट डाटा में उस फेज की करन्ट विदाउट वोल्टेज का टेम्पर संबंधित वोल्टेज रिस्टोर्ड होने तक की समयावधि के साथ अंकित होता है एवं मीटर में उस समय अवधि की खपत दर्ज नहीं होती है जो कि टेम्पर रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रही है ।*

4. *मीटर की टेस्टिंग भी दिनांक 09.09.2021 को की गई जिसकी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मीटर के वाय फेज पर लोड देने पर भी वोल्टेज 0 आ रहा था । इससे स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि मीटर के वाय फेज को कसने में जिस बोल्ट का उपयोग किया जाता है उसमें कोई मेकेनिज्म डिफेक्ट होने के कारण वाय फेज पर लोड देने के उपरांत भी वोल्टेज 0 था जिस कारण से उपरोक्त फेज की खपत मीटर में दर्ज नहीं हो पा रही थी परन्तु उपभोक्ता द्वारा उपरोक्त फेज पर लोड का उपयोग किया जा रहा था । इस कारण यह करंट विदआउट वोल्टेज का टेम्पर आ रहा था ।*

सविनय निवेदन है कि उपरोक्त कनेक्शन पर उपभोक्ता का जो 26041 यूनिट का बिल दिया गया है वह बेलेंस लोड के आधार पर दिया गया है एवं टेम्पर रिपोर्ट एवं बिलिंग डाटा का विश्लेषण

करने उपरांत दिया गया है जो कि नियमानुसार उचित है और भुगतान योग्य है । उक्त प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।''

आज की सुनवाई में अनावेदक कम्पनी की ओर से श्री प्राणेश कुमार, सहायक यंत्री, उज्जैन के साथ ही एस.टी.एम. संभाग की सहायक यंत्री श्रीमती पल्लवी तैलंग, उज्जैन भी उपस्थित हुई, जो कि मीटर की एम.आर.आई. करने, उसको पढ़ने एवं उसकी विवेचना करने का कार्य करती है । आवेदक द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का उनके द्वारा संतुष्टि तक जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें आवेदक को एम.आर.आई. डाटा दिखाने के साथ ही साथ उदाहरण सहित समझाया भी गया । आवेदक की पूर्ण संतुष्टि के लिए मीटर की एम.आर.आई. डाटा की साफ्ट कॉपी कम्प्यूटर में भी दिखाई गई, जिससे आवेदक संतुष्ट हुआ ।

उभयपक्षों को पूर्ण संतुष्टि तक सुना एवं दस्तावेज/तथ्य/कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । उभयपक्षों द्वारा बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रकरण में आगे कोई और कथन नहीं किया जाना है न ही कोई अतिरिक्त दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत की जानी है, अतः प्रकरण में सुनवाई समाप्त करते हुए प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया ।

सुनवाई दिनांक 29.09.2022 को अनावेदक से प्राप्त रिप्लाय पर मेल द्वारा दिनांक 30.09.2022 को आवेदक का प्रत्युत्तर दिनांक 30.09.2022 प्राप्त हुआ, जो निम्नानुसार है :—

''हमारे द्वारा फोरम के समक्ष माह दिसंबर 2020 में अतिरिक्त खपत 26040 युनिट को लेकर वाद प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण मे कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग म.प्र.प.क्षे.वि.वि.लि., उज्जैन द्वारा कोई साक्षय नही दिया गया और न ही कोई तकनीकि आधार प्रस्तुत कर सके।

हमारे अभिकथन से सहमत होकर फोरम ने निर्णय में उक्त अतिरिक्त खपत 26040 युनिट को मय अधिभार निरस्त करने का आदेश दिया , जो कि हमें मान्य है।

माननीय फोरम के द्वारा पुनः विद्युत शुल्क निर्धारण हेतु एक फामूला दिया गया जो कि हमें अमान्य है । दिनॉक 29.9.2022 को एस टी एम महोदय द्वारा जो जबाब दिया गया है के संदर्भ में निम्नानुसार तथ्य है—

1. *एस टी एम महोदय द्वारा विद्युत खपत एव्रिवेशन के पूर्व व पश्चात बताई गई है वह निम्नानुसार है—*

   एव्रिवेशन के पूर्व

   (16—17) ... 1035 Unit Normal year of Starting

(17–18) ... 819 Unit Year of demoneytization

(18–19) ... 809 Unit Year of Recovery

एव्रिवेशन के पश्चात

(19–20) ... 1450 Unit 2 convor & destoner of 9.5 HP fitted by ने पद premises for quality upliftment.

9.5 एच पी के यूनिट लगाये गये। जिससे हमारी खपत बडी।

(20–21) ... 1791 Unit Tanishk Agro ki unit band kar nutrigrip ki unit chalu ki gayi. 17 KWH se 28 KWH ka connection kiya gaya.

(21–22) ... 1674.16 Unit Nutrigrip ki unit establish ki gayi.

महोदय हम 63 KW ka connection – 100 HP ka transfarmer lagane ka request kar rahe hai , hame case final hone tak zero balance ke bill ke liye wait karne ka kaha gaya hai.

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि जो आकलन किया गया था वो सांख्यकि त्रुटि है। एवं विद्युत संयोजन दिनॉक से व्हाय फेज मिसिंग है यह तथ्य निर्धारित नही होता है।

टेमपर रिपोर्ट दिनॉक 5.8.2020 से 18.11.2020 तक की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसमें कुल 106 दिनो में मात्र 96 धंटे Occurred / restord में मिसिंग है। अतः यह कथन कि वाय फेज 2016 से मिसिंग था गलत है।

2. एस टी एम महोदय द्वारा यह आकलन कि विद्युत का प्रयोग दिन मे होता है व रेगुलर है गलत है। हमारी बीज की यूनिट थी जिसमें माह मई , जून व अक्टूअर नवम्बर अधिक पीक उपयोग के माह है। इसी प्रकार मई व जून माह मे सोयाबीन प्रकिया मे लगभग 15 HP व अक्टूअर नवम्बर मे गेहूॅ में 30 HP का प्रयोग होता है। जिस समय टेस्टिग की गई है वह ऑफ पीक समय था।

3. विद्युत संयोजन मे प्रयुक्त पतले तार की वजह से वाय फेज 2016 से मिसिंग था गलत है क्योकि वह वायर आज भी नही बदला गया है जबकि कोई टेस्टिग रिर्पोट नार्मल है यह जानकारी फोरम को पूर्व में दी गई थी। अभी नया तथ्य कि बोल्ट नही कसे गये थे अमान्य है। Assumtion के आधार पर इस तरह की बातें तकनीकि खामियो के आधार पर निर्धारित नही होती है।

4. मीटर टेस्टिग मे मीटर सही से काम करता पाया गया था। यह रिर्पोट दो पेज की थी जिसमें दूसरा पृष्ट विद्युत मंडल की निर्धारित फार्म में नही था। 09.09.2021 मे टेस्टिग में यदि

Y फेज 0 आ रहा है तो यह सिद्व करता है कि मीटर के साथ MPEB के द्वारा Tempering की गई। 84701.8 से 84709.4 यूनिट कहॉ से हुआ माननीय निचली फोरम को भी नही बताया गया था। 17.01.2021 को की गई टेस्टिग में मीटर सही से काम करता पाया गया।

यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित नही किया गया कि कितना , कब व कहॉ से फेज मिसिंग हुआ। इस प्रकार विवादित अवधि में मेरे द्वारा पूर्ण खपत का भुक्तान किया गया है।

महोदय से पुनः निवेदन है कि –

यह स्पष्ट है कि यह निर्धारित नही किया गया कि कितना , कब व कहॉ से फेज मिसिंग हुआ। 2016 से 2020 तक का कोई रिकार्ड नही है जो 26040 यूनिट को निर्धारित करता है। इस प्रकार विवादित अवधि में मेरे द्वारा पूर्ण खपत का भुक्तान किया गया है।

माननीय फोरम के द्वारा पुनः विद्युत शुल्क निर्धारण हेतु जो फामूला दिया गया है वह त्रृटिपूर्ण है –

1. 52 महिनों का औसत बिल करना है जिसमें कि माह मार्च 2016, अप्रेल 2016 व मई 2016 का औसत लेना है। माह मई , जून , सितम्बर व अक्टूअर हमारे अधिक्तम खपत के माह है। अन्य माह में औसत खपत होती है। इसप्रकार फोरम के द्वारा पुनः विद्युत शुल्क निर्धारण में औसत व अधिक्तम खपत का मीन 450 यूनिट अधिक है जिससे 450X52 = 23400 यूनिट अतिरिक्त का बिल पुनः आंकलित कर दिया गया है।

2. महोदय से निवेदन है कि –

1- *वर्ष (16–17) ... 1035* Unit
2- *(17–18) ... 819* Unit
3- *(18–19) ... 809* Unit
4- *(19–20) ... 1450* Unit

वर्षवार वास्तविक खपत है जिसमें 2016–2017 एवं 2018 में खपत 1000 यूनिट ही है।

अतः हमारे द्वारा मॉगी गई रियायत तकनीकि न होकर सॉख्यकि पर आधारित है ।

हमें तकनीकि विश्लेषण मान्य नही है। उपभोक्ता गैर तकनीकि जानकारी रखता है अतः न्याय की प्रकिया में निर्धारित तकनिकी तथ्यों पर अपना पक्ष नही प्रस्तुत कर पायगा।

महोदय से निवेदन है कि प्रकरण में यदि पुनः गणना का आदेश दिया जाता है तो पुनः मनमाने तराके से मेरे आर्थिक हितो की अवहेलना की जावेगी। अतः प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार कर आदेश प्रसारित करने की कृपा करेगे।''

आवेदक से प्राप्त उत्तर को संज्ञान में लिया गया ।

04. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत कथनों/साक्ष्यों का स्थापित विधि के नियमों/विनियमों के प्रकाश में विवेचना से निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

01. आवेदक के परिसर में 17 KW के गैर घरेलू कनेक्शन के खराब मीटर के स्थान पर मीटर क्रमांक 9023484 मेक जीनस दिनांक 11.06.2016 को स्थापित किया गया था ।

02. उक्त मीटर को अगस्त 2020 में जांच करने पर टैम्पर डाटा में यह पाया गया कि मीटर को वाय फेस से वोल्टेज नहीं मिल रहा है जिसकी अवधि 11.06.2016 से 5.8.2020 तक की है । जिससे वाय फेस की खपत एवं अधिकतम मांग दोनों दर्ज नहीं हो रही है ।

03. मीटर में वाय फेस टाईट करने पर समान भार उपयोग करते हुए यह पाया कि वाय फेस वोल्टेज नहीं मिलने पर भार/मांग (Demand) 7.07 KW दर्ज हो रही है वहीं ठीक करने पर 11.1 KW दर्ज हो रही है जिससे प्रतीत होता है कि एक तिहाई खपत दर्ज नहीं हो रही है ।

04. मीटर टेम्पर की रिपोर्ट जीनस मीटर की निर्माता कंपनी द्वारा प्रदत्त साफ्टवेयर (जिससे मीटर द्वारा दर्ज खपत एवं अन्य डाटा पढ़ा जाता है) से प्राप्त की गई है जो कि प्रमाणिक हैं ।

05. मीटर को वाय फेस पर वोल्टेज नहीं मिलने के संभावित कारण (i) मीटर टर्मिनल पर तार ठीक तरह से नहीं जोड़ना (ढीला/इन्सुलेशन के साथ जोड़ना) (ii) मीटर के अंदर कनेक्शन में गड़बड़ी होना (ढीला/ठीक तरह से जुड़ा नहीं होना) (iii) पी.टी. प्राप्त करने के लिए मुख्य केबल में बोल्ट (Probe) ठीक तरह से धस कर संपर्क नहीं होना । इस प्रकरण में केबल में बोल्ट ठीक ढंग से धुसाकर संपर्क नहीं होना है ।

06. अनावेदक का यह कहना कि कनेक्शन का उपयोग सुबह 9 बजे से शाम 8.30 बजे तक किया जाता है यह संपूर्ण अवधि के लिए नहीं माना जा सकता ।

07. आवेदक के परिसर में मीटर क्रमांक 9023484 मेक जीनस 40—200 एम्पीयर थ्री फेस स्थापित करने के बाद जांच नहीं की गई एवं उसके उपरांत भी लंबी अवधि तक जांच नहीं करने के कारण यह त्रुटि लंबे अंतराल बाद पकड़ी जा सकी ।

08. 05.08.2020 को सुधार करने के उपरांत 05.08.2020 से 19.11.2020 (जिसमें त्रुटिवश 05.08.2019 से 19.11.2020 लिखा है) अवधि की टेम्पर रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बार—बार वाय फेस का वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है । अतः स्पष्ट है कि या तो पुनः वाय फेस पी.टी. का कनेक्शन ठीक नहीं हुआ है या मीटर के अंदर कनेक्शन ठीक नहीं है ।

09. आवेदक को शंका है कि मीटर टेस्टिंग के समय की रीडिंग गड़बड़ है । मीटर का परीक्षण प्रारंभ करते समय रीडिंग 84701.8 थी, उसे तीनों फेस पर टेस्ट किया गया, जिसमें रीडिंग 84709.4 तक पहुंची उसके उपरांत प्रत्येक फेस पर टेस्ट किया गया जिसकी रीडिंग परीक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित है ।

10. तीनों फेस पर टेस्ट करने में मीटर द्वारा 7.6 यूनिट दर्ज की जबकि आरएसएस (स्टेंडर्ड मीटर) द्वारा 10 यूनिट दर्ज की थी । इससे स्पष्ट है कि टेस्टिंग के समय भी मीटर के वाय फेस की पीटी सही तरह से जुड़ी नहीं थी जिसके कारण थ्री फेस टैस्टिंग अवधि में कुछ समय वाय फेस की पी.टी. जुड़ी थी, परन्तु यह स्पष्ट है कि विवादित अवधि में मीटर को वाय फेस पर वोल्टेज नहीं मिला जिससे केवल दो तिहाई खपत दर्ज हुई । मीटर टेस्टिंग टीम द्वारा लापरवाही बरतते हुए इस संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जिससे आवेदक के मन में बार बार संशय उत्पन्न हुआ ।

11. अनावेदक ने मीटर की एमआरआई रिपोर्ट एवं टेम्पर डाटा प्रस्तुत किया जिसमें टेम्पर डाटा में मीटर में Y-ph PT missing – occurred – 11/6/2016 19:06:55 एवं Restored – 5/8/2020 13:53:47 प्रथम बार दर्ज हुआ है उसके बाद 18.08.2020, 19.08.2020, 20.08.2020 .... कई बार Y-ph PT miss हुआ है ।

12. जांच में मीटर दो फेस आर और बी फेस पर सही कार्य करता हुआ पाया एवं वाय फेस पर वोल्टेज नहीं बताया । अतः वाय फेस वोल्टेज छोड़कर मीटर ठीक कार्य कर रहा था ।

13. पिछले वर्षों में विभिन्न कारणों से खपत कम ज्यादा हुई है किन्तु वाय फेस पी.टी. नहीं होने से एक तिहाई खपत दर्ज नहीं हो पाना सिद्ध होता है । आवेदक की संतुष्टि के लिए टेम्पर रिपोर्ट की प्रति दिलवाई गई । साथ ही साफ्ट कॉपी भी कम्प्यूटर में दिखलाई गई।

14. आवेदक ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2022 में ऐसे कई तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो न तो सुनवाई में प्रस्तुत किए थे एवं ना ही उनका कोई आधार प्रस्तुत किया है । अतः संज्ञान में लिए जाने योग्य नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक संभ्रमित है । आवेदक यह सिद्ध करने में असफल रहा कि वाय फेस की पी.टी. मिसिंग नहीं थी ।

05. प्रकरण में की गई उपरोक्त विवेचना तथा प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है :—

i) आवेदक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

ii) फोरम का आदेश अपास्त किया जाता है ।

iii) यह प्रमाणित हुआ कि मीटर की कार्यप्रणाली ठीक थी किन्तु 11.06.2016 से 5.8.2020 तक मीटर को वाय फेस पीटी नहीं मिलने के कारण केवल दो तिहाई खपत ही मीटर में दर्ज हुई तथा एक तिहाई खपत दर्ज नहीं हो सकी । अतः उक्त अवधि में प्रत्येक माह के बिल बची हुई खपत जोड़कर पुनरीक्षित किए जावें तथा अंतर की राशि निकाली जाकर उसमें से जमा राशि का समायोजन किया जावे ।

iv) अनावेदक द्वारा प्रस्तुत बिलिंग डाटा से यह स्पष्ट है कि बिल माह मार्च 2014 से अक्टूबर 2015 तक आवेदक को औसत खपत 500/300 युनिट के बिल जारी किए है जबकि मीटर सही कार्य करना प्रतीत होता है क्योंकि माह दिसंबर 2015—4524 युनिट एवं माह जनवरी — 2016 में 9027 यूनिट (Accurmulated Unit) दर्ज की है जो कि रीडिंग लेने में लापरवाही प्रदर्शित होती है । अतः उक्त अवधि की बिलिंग भी माहवार पुनरीक्षित की जावे एवं औसत खपत का समायोजन किया जावे । (यदि पूर्व में नहीं किया है तो)

v) फोरम एवं विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रकरण विचाराधीन होने की अवधि में विवादित राशि पर सरचार्ज लिया जाना न्याय विरूद्ध है, अतः हटाया जावें ।

vi) MRI हेतु सक्षम मीटर (MRI compitable meter) होने के उपरांत भी मीटर स्थापना के बाद टेस्ट नहीं करना एवं उसके पश्चात चार वर्ष से अधिक अवधि तक मीटर की जांच नहीं करना स्पष्ट लापरवाही है । इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु कंपनी स्तर पर तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रतिमाह समीक्षा की जावे ।

06. उक्त निर्णय के साथ प्रकरण निर्णित होकर समाप्त होता है । उभयपक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

07. आदेश की निशुल्क प्रति के साथ उभयपक्ष पृथक रूप से सूचित हों और आदेश की निशुल्क प्रति के साथ फोरम का मूल अभिलेख वापिस हो ।

विद्युत लोकपाल